कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस, मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांकः स– 4 /जे0डी0/फा0स0/मेरठ–15(गा0बाद) | 113 दिनांकःमार्च 20 2015,

सेवा मे,

प्रबन्धक/स्वामी,
मैसर्स ओमसन पब्लिक स्कूल,
दिल्ली मेरठ रोड मुरादनगर,
जनपद गाजियाबाद।

विषयः प्लाट/खसरा न0–217 मि0, 219, 944/2, 945 ग्राम उखलारसी परगना जलालाबाद दिल्ली रोड मुरादनगर जिला गाजियाबाद मे निर्मित ओमसन पब्लिक स्कूल एजुकेशनल भवन को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडीः 2014/6033/जीजेडबी/गाजियाबाद/336/जेडी

सन्दर्भः 1–मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन, शिक्षा (06) अनुभाग का शासनादेश संख्याः 1528/79–6–08 दिनांकः 20–07–2009

2–मा0 सर्वोच्च न्यायालय मे योजित जन हित याचिका संख्याः 483/2004 अवनीश कुमार महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य मे पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांकः 13–04–2009 के अनुपालन मे प्रदेश के स्कूलो/ कालेजो मे अग्नि सुरक्षा शानादेश संख्याः 1801/15–7–09–1(124)/2009 दिनांकः 20–07–2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप मे अनापत्ति सम्बन्धी आख्या।

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः निल का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से उक्त प्रश्नगत निर्मित एजुकेशनल भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशों के अनुपालन मे भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2005 मे उल्लेखित शैक्षिक भवनों के लिए प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप भवन का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी मोदीनगर जनपद गाजियाबाद से कराया गया तथा अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या दिनांक 15–01–2015 एवं दिनांकः 18–02–2015 उका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद द्वारा कर अपनी आख्या दिनांकः 19–01–2015 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को उपलब्ध करायी गयी जिसका अधोहस्ताक्षरी द्वारा परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत हैः–

भवन की संरचनाः–

1–कुल प्लाट एरिया–8045.00वर्ग मी0

2–निर्मित भूतल कवर्ड एरिया–1916.99 वर्ग मी0।

3–प्रथम व तल कवर्ड एरिया–1916 वर्ग मी0 प्रत्येक।

4–ऊँचाई–10.05 मीटर।

अधिभोगः– प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2005 की एजुकेशनल श्रेणी बी0 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत सुरक्षा व्यवस्थाः–

1–पहुच मार्ग– प्रश्नगत भवन के सामने 60.00 मी0 चौडा रोड है जिस पर फायर सर्विस वाहन आ जा सकते है।

2–प्रवेश द्वार–04.50 मी0 उपलब्ध है।

3–सैटबेक

अग्रभाग–21.64 मीटर।

पृष्ठ भाग–.82 मी।

पार्श्व भाग प्रथम–1.75 मीटर।

पार्श्व भाग द्वितीय–शून्य।

20/3

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन पूर्व से मान्यता विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांकः 02 मई 2003 के माध्यम से जू0हाई स्कूल स्तर की मान्यता प्रदान की गई है। पूर्व से मान्यता प्राप्त एवं संचालित विद्यालयों एवं शासनादेशों के अनुसार मात्र अग्निशमन उपकरणों की पर्याप्ता सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है।

निकास मार्गः– प्रश्नगत भवन मे 03 निकास हेतु 03 स्टेयर जिनकी चौडाई 1.50 मीटर है, तथा ट्रेवंल डिस्टेन्स हेतु 02 अतिरिक्त स्टेयर का निर्माण वार्षिक अवकाश के दौरान निर्माण कराये जाने का आश्वासन अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः 14–02–2015 के माध्यम से दिया गया है।

अग्निशमन व्यवस्थाः–

1–होजरीलः–प्रश्नगत निर्मित भवन मे होजरील, उपलब्ध है।

2–टेरिस टैंकः– प्रश्नगत निर्मित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 हजार ली0 उपलब्ध है।

3–टेरिस पम्पः– प्रश्नगत निर्मित भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प क्षमता 900 एलपीएम उपलब्ध है।

4–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार कार्यशील दशा मे स्थापित पाये गये।

5–एग्जिट साईनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या के आधार पर प्लाट/खसरा न0–217 मि0, 219, 944/2, 945 ग्राम उखलारसी परगना जलालाबाद दिल्ली रोड मुरादनगर जिला गाजियाबाद मे निर्मित ओमसन पब्लिक स्कूल एजुकेशनल भवन को निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता हैः–

1–वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानचित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्निशमन सुरक्षा सन्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

2–02 अतिरिक्त स्टेयर का निर्माण आगामी वार्षिक अवकाश के दौरान कराया जाना अनिवार्य होगा।

3–वर्तमान में उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रति वर्ष इस प्रकार का प्रमाण पत्र इस विभाग से प्राप्त करना होगा कि उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

4–स्कूल की ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा पहुंच मार्ग, सैट बैक, फायर स्केप व अग्निशमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नही की जायेगी।

5–स्कूल में भोजन/मिड–डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गो से दूर टिन शैड में ही किया जायेगा।

6–स्कूल के कमरे जिनमे 45 से अधिक बच्चे बैठने की व्यवस्था की जाये उनमे न्यूनतम 02 दरवाजे होगे।

7–प्रश्नगत भवन की विद्युत सुरक्षा हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

8–उपरोक्त प्रतिबन्धों के उल्लंघन पर निर्गत अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नः प्रति

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपि–1–उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ।

2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3–अग्निशमन अधिकारी मोदीनगर गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4–बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।